

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 20/2019

निर्णय दिनांक - 04.04.2019

अंजली पत्नि कमल जी नाहर जैन उम्र वयस्क निवासी मोदी मौहल्ला निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- प्रार्थी

// /बनाम//

1. उमराव सिंह पिता चंदनमल जी जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. शंकरलाल पिता राधेश्याम जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. रामलाल पिता नानुराम जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. मगनीराम पिता मांगीलाल धाकड उम्र सभी वयस्क निवासी जावद (म.प्र.)
5. गोपाल पिता मांगीलाल धाकड उम्र सभी वयस्क निवासी जावद (म.प्र.)
6. लक्ष्मीचंद पिता मांगीलाल धाकड उम्र सभी वयस्क निवासी जावद (म.प्र.)


- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा की वर्तमान खाता संख्या 59 के आराजी नं0 2103 रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा की वर्तमान खाता संख्या 59 के आराजी नं0 2103 रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

